



**आरटीई अधिनियम-2009, के प्रावधान तहत
स्कूल फीस प्रतिपूर्ति**

**SAGE International School, PHANDA URBAN,
BHOPAL**



प्रस्ताव क्रमांक: 50714

प्रस्ताव दर्ज दिनांक : 30/12/2022

स्कूल आईडी - 84021

दिनांक : 30/01/2023

सत्र - 2021-22

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक

जिला - BHOPAL, मध्यप्रदेश

विषय :- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) के अंतर्गत फीस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मान्यता की जानकारी : शाला का मान्यता का क्रमांक 84021 एवं मान्यता की अवधी 01/04/2022 से 31/03/2025 तक है।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) की धारा 12(i) (c) के अंतर्गत मेरे स्कूल में उपरोक्त शैक्षणिक सत्र में संलग्न सूची अनुसार बच्चों को प्रवेश दिया गया है। सूची में उल्लेखित विवरण के अनुसार दिनांक की स्थिति में बच्चों की उपस्थिति 75% या उससे अधिक रही है।

कृपया अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधान अनुसार उक्त प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करने का कष्ट करें।

1. 31 मार्च की स्थिति में स्कूल में प्रवेशित वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की उपस्थिति की जानकारी।

संलग्न:

2. फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में विद्यालय के प्रबंधक/प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र।

**Bank
Details:**

Account No.- 065322010000102

IFSC Code - UBIN0906531

भवदीय,

प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रबंधक/प्राचार्य